क्षेत्रीय कार्यालय,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0 लि0, झाँसी
के अन्तर्गत औद्योगिक एवं स्कूल/कॉलेज हेतु

भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

यह योजना दिनांक 08.06.2016 से 31.03.2017 तक ओपेन एण्डेड रहेगी

उपलब्ध भूखण्डों का विवरण एवं दर तथा सामान्य शर्तें

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध भूखण्ड	दर प्रति वर्गमी0
ग्रोथ सेंटर झांसी	औद्योगिक	200 से 600 वर्ग मी0 800 से 1000 वर्ग मी0 2000 से 3200 वर्ग मी0	60 07 03	1350.00
ग्रोथ सेंटर झांसी फेज–प्रथम (आवासीय सेक्टर)	पीएस–02 स्कूल/कालेज	6274 वर्गमी0	01	3300.00
उरई, जालौन साइट–2 आवासीय सेक्टर	स्कूल/कालेज	15000 वर्गमी0	01	2050.00
औ0क्षे0 उरई, जालौन फेज–प्रथम	औद्योगिक	6000 से 7000 वर्गमी0 2100 से 3200 वर्गमी0 1800 से 3200 वर्गमी0 3500 से 4000 वर्गमी0	04 03 23 03	980.00
औ0क्षे0 बिजौली	औद्योगिक	1800 वर्ग मी0	01	1450.00

पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2017 सायं 05 बजे तक

नियम व शर्तें– 1. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र रू0 525/– (सर्विस टैक्स सहित) प्रति आवेदन पत्र की दर से क्षेत्रीय कार्यालय, यूपीएसआईडीसी लि0, प्रशासनिक भवन, ग्रोथ सेंटर, बिजौली, झाँसी से दिनांक 08.06.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 सायं 05 बजे तक जमा किये जा सकते है। 2. आवेदन प्राप्ति के उपरान्त औद्योगिक भूखण्डों एवं स्कूल/कॉलेज कि आवेदको को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु आवेदक को योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र, सोसाइटी आदि का रजिस्ट्रेशन, अन्य जगह स्कूल/कॉलेजो का विवरण तथा वित्तीय स्थिति का विवरण आदि लाना होगा तथा साक्षत्कार के पश्चात सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत किये जायेंगे। 3. आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस के मद में 1 एकड़ तक रू0 2000/– 1 एकड़ से 5 एकड़ तक रू0 5000/– एवं 5 एकड़ से अधिक पर रू0 10,000/–का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर एवं अग्रिम धनराशि के मद में भूखण्ड की लागत का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर जो यूपीएसआईडीसी लि0, झाँसी के पक्ष में देय हो, फार्म के साथ संलग्न करना होगा। 4. भूखण्डो की संख्या एवं क्षेत्रफल घट बढ़ सकती है। 5. प्रोसेसिंग फीस के मद में जमा की गई धनराशि न तो वापस की जायेगी और न ही अन्य किसी मद में समायोजित की जायेगी। 6. असफल आवेदकों की जमा अग्रिम धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 180 दिवस में बिना ब्याज के वापसी की जायेगी। 7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी लि0, को किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 8. आवंटन तिथि पर लागु प्रचलित दरें ही मान्य होगी। 9. आवंटन के पश्चात हस्तानान्तरण किये जाने की अनुमति तभी प्राप्त हो सकेगी जब भूखण्ड के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल को आच्छादित कर इकाई को उत्पादन में ले आयें। 10. आवन्टी को आवंटन की दिनांक से रू0 40/– प्रति वर्गमी0 (अधिकतम शुल्क रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष) की दर से रख–रखाव शुल्क भी देना होगा। 11. भूखण्डो का आवंटन 90 वर्षीय पट्टे पर किया जायेगा जिसका लीज रेन्ट नियमानुसार आवंटी को देना होगा। 12. प्रत्येक माह के अन्त तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के पश्चात शेष बचे हुये भूखण्डों के आवंटन हेतु अगले माह के आवेदनों पर विचार किया जायेगा। यह क्रम योजना समाप्त होने तक जारी रहेगा।

आवेदन प्रक्रिया, नियम व शर्तें तथा अन्य विवरण निगम की वेबसाइट www.upsidc.com पर देखी जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

upsidc | **उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0**

प्रशासनिक भवन, ग्रोथ सेन्टर, बिजौली, झाँसी। दूरभाष: +918004790560